



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236685
CG-DL-E-17062022-236685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2672]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944

No. 2672]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 2809(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 26क, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 26क और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 22ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3997(अ), तारीख 16 अगस्त, 2018 में, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. (9) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

क्रम संख्या	विद्यमान न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
"9"	अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक, जम्मू और श्रीनगर न्यायालय	जम्मू-कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में क्रमशः जम्मू खंड और कश्मीर खंड

[फा. सं. 10/49/2017-पीएम]

डॉ. शशांक सक्सेना, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (वित्तीय बाजार)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना का.आ. 3997(अ), तारीख 16 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2022

S.O. 2809(E).—In exercise of the powers conferred by section 26A of the Securities and Exchange Board of India, 1992(15 of 1992), section 26A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and section 22C of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, numbers S.O. 3997(E), dated, the 16th August, 2018, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, for the serial number (9) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Existing Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
"9	Courts of Additional Special Judge, Anti Corruption, Jammu and Srinagar	Jammu division and Kashmir division respectively in the Union territory of Jammu and Kashmir"

[F. No. 10/49/2017-PM]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Senior Economic Adviser (Financial Markets)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide Notification S.O. 3997(E) dated the 16th August, 2018.